संख्या- 01/2017/1533-1/62-1-2016-1110/2015

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 03 जनवरी,2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की नवीन योजना-14-अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की एकीकृत योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-786जी/भू0ज0वि0/बी-1/डब्लू, दिनांक 25अक्टूबर, 2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत भूगर्भ जल के कार्यक्रम की आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत नवीन योजना यथा-14-अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की एकीकृत योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 8000 हजार (रूपया अस्सी लाख मात्र) को निम्न विवरण के अनुसार राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि हजार रू0 में)

क्रं0 सं0	लेखाशीर्षक/मद	बजट प्राविधान 2016-17	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
"लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-14-अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की एकीकृत योजना ।"			
1	25-लघु निर्माण कार्य	8000	8000
	योग	8000	8000

(रूपया अस्सी लाख मात्र)

2- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी-

(1) उपर्युक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरशः अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय ।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय ।

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय ।

(4) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा

http://shasanadesh.up.nic.in

में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय । व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे ।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी । अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना शासन को दी जाय ।

(6) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आंवटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का एकमुश्त आहरण कदापि न किया जाय । आवश्यकतानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण किश्तों में किया जाय ।

3- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-14-अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की एकीकृत योजना- 25-लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।"

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-01/2017/1533-1 (1)/62-1-2016, तदद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(3) नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।
(4) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0शासन ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(7) निदेशक, सूचना, उ0प्र0, लखनऊ ।
(8) एन0आई0सी0, उ0प्र0, लखनऊ ।
(9 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in